(2008) 1 एस.सी.आर 637

ओसवाल वूलन मिल्स लिमिटेड

बनाम

पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड और अन्य

(सी.ए.संख्या- 2335/2006)

11 जनवरी, 2008

(एस.बी.सिन्हा और हरजीत सिंह बेदी, जे.जे.)

विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम 1948:

धारा 46 और 49- विद्युत कर- अधिभार की वसूली- निर्णय दिनांकित 28.04.2006 का स्पष्टीकरण- यह अभिनिर्धारित किया गया कि कंपनी भुगतान के लिए दायी है तथा दिनांक 13.05.1992 से एक वर्ष की समाप्ति की दिनांक से प्रभावी अधिभार की वास्तविक राशि कंपनी द्वारा अदा की जा चुकी है। अधिसूचना दिनांकित 01.02.1994 शुल्क के संबंध में अधिभार 17.50% अदा किया जाना आवश्यक नहीं था।

ओसवाल वूलन मिल्स लिमिटेड बनाम पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड और एक अन्य (2006) 1 पूरक एससीआर 480- का संदर्भ दिया गया।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार- सिविल अपील संख्या 2335/2006 में आई.ए.संख्या 91

महिंद्रा आनंद, नीरज कुमार जैन, भरत सिंह, संजय सिंह, संदीप चतुर्वेदी व उग्र शंकर प्रसाद अपीलार्थी की ओर से।

रूचि गौर नरूला, रूचि कोहली और राजीव नंदा प्रतिवादियों की ओर से।

न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया।

आदेश

1. यह आवेदन सिविल अपील सं. 2335/2006 में इस न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा पारित निर्णय व आदेश दिनांकित 28.04.2006 के स्पष्टीकरण के लिए पेश किया गया है।

2. इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण मांगा गया है कि क्या आपूर्ति को 11 केवी से 33 केवी या उच्च वोल्टेज में परिवर्तित करने के लिए एक वर्ष की अवधि शुरू करने की कट-ऑफ तारीख 13/05/1992 थी या अधिभार वास्तव में उक्त तिथि से देय था।

3. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के पश्चात हमारा मत है कि कंपनी दिनांक 13.5.1992 से एक वर्ष की समाप्ति की दिनांक से प्रभावी

अधिभार के भुगतान के लिए दायी है ना की दिनांक 13.5.1992 से। न्यायालय के निर्णय का सुसंगत पेराग्राफ तद्नुसार निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया जा सकेगा-

"उपरोक्त कारणों से, यद्यपि कंपनी की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आर.के. जैन का यह तर्क सही हो सकता है कि बोर्ड के पास 29.01.1992 के बाद अधिभार लगाने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, लेकिन चूंकि उक्त विवाद नहीं उठाया गया था और इसके अलावा एक सीमित प्रश्न पर न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किया गया था, हमारी राय है कि कंपनी 13.05.1992 से एक वर्ष की समाप्ति की तारीख से अधिभार का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। हम यह भी देख सकते हैं कि उस तिथि से देय अधिभार की वास्तविक राशि कंपनी द्वारा बोर्ड को पहले ही भुगतान की जा चुकी है। यद्यपि हमारे उपुर्यक्त उल्लेखित निष्कर्ष की रोशनी में इस संबंध में कोई संदेह नहीं हो सकता कि अधिसूचना दिनांकित 01-02-1994 द्वारा कर के संबंध में 17.50 प्रतिशत अधिभार का भुगतान किया जाना आवश्यक नहीं था।

अंतरिम आवेदन उपरोक्तानुसार निस्तारित किया जाता है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' के जरिए अनुवादक न्यायिक अधिकारी अभीप्सा चारण, आर.जे.एस. द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय वादी के प्रतिबंधित उपयोग के लिए उसकी भाषा में समझाने के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।